न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 24/2019
दायर दिनांकः 02.12.2019
निर्णय दिनांक 03.10.2025

—: अनवान :—

रणजीतसिंह पिता अमरसिंहजी जाति रावत, निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द — **प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भीम
2. श्रीमती लीना चौहान पत्नी जसवन्तसिंह जाति रावत, निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द — **गैर निगराकारगण**

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 57/2019 दिनांक 04.10.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित
3— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 57 दिनांक 04.10.2019 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम के मोहल्ला धर्मेशपुरी की आराजी नम्बर 2318/1 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। जिसके पडौस पूर्व में लुम्बसिंह का मकान, नाप 70 फीट, पश्चिम में जशोदा देवी का मकान, नाप 70 फीट, उत्तर में शंकरलाल का मकान नाप 30 फीट व दक्षिण में आम रास्ता नाप 30 फीट का जारी किया गया है। जिसे निरस्त कराने के लिये यह निगरानी याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है। वह अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरीत हैं। निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जो जारी किया गया है, उसे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। भूखण्ड पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का है. ऐसी स्थिति में निगराकार की सम्पत्ति के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना विधि के विपरीत है। निगराकार द्वारा उक्त भूखण्ड को बालुसिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी तहसील भीम जिला राजसमन्द से 40,000/— रूपये में क्रय किया है एवं कब्जा प्राप्त किया है तब से इस पर कब्जा आधिपत्य प्रार्थी/निगराकार का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कब्जेशुदा एवं खरीदशुदा भूखण्ड पर पट्टा ग्राम पंचायत को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा नियमों के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपरीत हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने फर्जीवाड़ा किया है। उक्त वर्णित पड़ौसों के मध्य का भूखण्ड निगराकार का है तथा विपक्षी संख्या 2 निगराकार के पुत्र की नातायत पत्नी है जिसने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा से यह पट्टा जारी करवाया है। निगराकार सेना में कार्यरत होने के दौरान अपनी गाढ़ी कमाई से यह भूखण्ड क्रय किया था जिसका फर्जी रूप से पट्टा ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। विपक्षी संख्या 2 जसवन्तसिंह की वास्तविक पत्नी नहीं है। जसवन्तसिंह की शादी रचना पुत्री हुकमसिंहजी निवासी मिल्याथड़ी, ग्राम पंचायत कुकरखेड़ा के साथ हुई थी लेकिन रचना को जसवन्तसिंह ने छोड़ रखा है तथा विपक्षी संख्या 2 के साथ नाजायज सम्बन्ध बना रखे हैं और उसी के साथ रह रहा है। जबकि जसवन्तसिंह व रचना के मध्य न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा जसवन्तसिंह को रचना का भरण पोषण अदा करने का आदेश भी न्यायालय ने प्रदान कर रखा है क्योंकि रचना जसवन्तसिंह की पत्नी हैं लेकिन ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर जसवन्तसिंह ने विपक्षी संख्या 2 को अपनी पत्नी बताते हुए निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जारी करवाया है। उक्त पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी रूप से पुरानी तारीख में ग्राम पंचायत से की गयी है। ग्राम पंचायत को उक्त भूखण्ड का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने का अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 का उक्त भूखण्ड पर न तो कब्जा आधिपत्य रहा है न ही विपक्षी संख्या 2 का हक अधिकार इस निहित है। यदि दिनांक 04.10.2019 को उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता तो उक्त पट्टे का पंजीयन भी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.10.2019 को जसवन्तसिंह के पट्टे के साथ ही करवा दिया जाता। लेकिन वास्तव में दिनांक 15.10.2019 तक कोई पट्टा जारी ही नहीं हुआ था इसलिये उक्त पट्टे का पंजीयन नहीं हो सका। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को बालुसिंह से वर्ष 2004 में ही क्रय कर लिया था तब से प्रार्थी इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त पट्टे की जानकारी निगराकार को विपक्षी द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को कब्जा हटाने के लिये धमकी देकर बेदखल होने के लिये कहा तथा निगराकार की पत्नी के साथ दिनांक 15.11.2019 को मारपीट की जिस पर पुलिस थाना भीम में विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण संख्या 629/2019 दर्ज कराया गया तब उक्त पट्टे की जानकारी हुई। जानकारी होते ही उक्त दस्तावेज की नकल प्राप्त कर शीघ्र निगरानी तैयार करा यह निगरानी प्रस्तुत गयी है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा विलेख संख्या 57 दिनांक 04.10.2019 को अपास्त फरमाया जावे और प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के निर्देश फरमाये जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित। तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिती दी तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर NO INSTRACTION कर बहस नहीं करने हेतु निवेदन करने से अधिवक्ता निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम के मोहल्ला धर्मेशपुरी की आराजी नम्बर 2318/1 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जो जारी किया गया है उसे

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। भूखण्ड पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का है. ऐसी स्थिति में निगराकार की सम्पत्ति के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना विधि के विपरीत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निगराकार द्वारा उक्त भूखण्ड को बालुसिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी तहसील भीम जिला राजसमन्द से 40,000/– रूपये में क्रय किया है एवं कब्जा प्राप्त किया है तब से इस पर कब्जा आधिपत्य प्रार्थी/निगराकार का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कब्जेशुदा एवं खरीदशुदा भूखण्ड पर पट्टा ग्राम पंचायत को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा नियमों के विपरीत हैं। विपक्षी संख्या 2 निगराकार के पुत्र की नातायत पत्नी है जिसने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा से यह पट्टा जारी करवाया है। निगराकार सेना में कार्यरत होने के दौरान अपनी गाढ़ी कमाई से यह भूखण्ड क्रय किया था जिसका फर्जी रूप से पट्टा ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। विपक्षी संख्या 2 जसवन्तसिंह की वास्तविक पत्नी नहीं है। जसवन्तसिंह की शादी रचना पुत्री हुकमसिंहजी निवासी मिल्याथड़ी, ग्राम पंचायत कुकरखेड़ा के साथ हुई थी लेकिन रचना को जसवन्तसिंह ने छोड़ रखा है तथा विपक्षी संख्या 2 के साथ नाजायज सम्बन्ध बना रखे हैं और उसी के साथ रह रहा है। जबकि जसवन्तसिंह व रचना के मध्य न्यायालय में प्रकरणविचाराधीन है तथा जसवन्तसिंह को रचना का भरण पोषण अदा करने का आदेश भी न्यायालय ने प्रदान कर रखा है क्योंकि रचना जसवन्तसिंह की पत्नी हैं लेकिन ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर जसवन्तसिंह ने विपक्षी संख्या 2 को अपनी पत्नी बताते हुए निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जारी करवाया है। उक्त पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी रूप से पुरानी तारीख में ग्राम पंचायत से की गयी है। विपक्षी संख्या 2 का उक्त भूखण्ड पर न तो कब्जा आधिपत्य रहा है न ही विपक्षी संख्या 2 का हक अधिकार इस निहित है। यदि दिनांक 04.10.2019 को उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता तो उक्त पट्टे का पंजीयन भी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.10.2019 को जसवन्तसिंह के पट्टे के साथ ही करवा दिया जाता लेकिन वास्तव में दिनांक 15.10.2019 तक कोई पट्टा जारी ही नहीं हुआ था इसलिये उक्त पट्टे का पंजीयन नहीं हो सका। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को बालुसिंह से वर्ष 2004 में ही क्रय कर लिया था तब से प्रार्थी इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त प ट्टा विलेख संख्या 57 दिनांक 04.10.2019 को अपास्त फरमाया जावे और प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के निर्देश फरमाये जावे।

मैंने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित पट्टा संख्या 57 जो कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 04.10.2019 को श्रीमती लीना चौहान पत्नि श्री जसवंत सिंह के पक्ष में जारी किया जाना प्रकट हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि पट्टे में आवंटी के रूप में अंकित है निगराकार के पुत्र श्री जसवन्त सिंह की पत्नि है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यवाही विवरण में दिनांकवार हस्ताक्षर नहीं है। तथा सरपंच द्वारा जो हस्ताक्षर किये है वो 05.02.2019 की कार्यवाही विवरण व 20.02.2019 के कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर नहीं करके केवल एक ही हस्ताक्षर सरपंच ने कर दिये जिससे यह प्रकट होता है कि पत्रावली का संधारण बाद में किया गया है। इसमें जो आवेदन पत्र श्रीमती लीना देवी द्वारा जो लगाया है। उस पर कोई दिनांक नहीं है। तथा आवेदन पत्र पर भी

न्यायालय कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सरपंच ने हस्ताक्षर कर दिए है जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। उस पर भी दिनांक अंकित नहीं है। जो शपथ पत्र लीना देवी ने पेश किया है। उस पर सरपंच ने हस्ताक्षर कर दिए है। तथा सत्यापन पर भी दोनो जगह पर सरपंच द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए है। तथा पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शा केवल ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया है। परन्तु उस पर भी दिनांक अंकित नहीं है। तथा निरीक्षण प्रपत्र पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। आपत्ति आव्हान पत्र पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। तथा भूखण्ड का कोई साईज अंकित नहीं है। निर्णय पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर है परन्तु उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर हुआ है कि इस पत्रावली का सृजन एक ही दिन में बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए मात्र केवल कागजो की खानापूर्ति के लिए कर दिया गया है।

इस संबंध में निगराकार द्वारा यह भी अवगत कराया कि यह संपत्ति उसने क्रय की तथा उस पर उसके पुत्र और उसकी नातायित पत्नि जो की अप्रार्थी संख्या 2 है उसके पुत्र की वास्तविक पत्नि नहीं है। उसने अपनी पत्नि को छोड़ रखा है। तथा नातायित दूसरी पत्नि के पक्ष में गलत रूप से जारी करा लिया गया है। अतः इसे निरस्त किया जाएं। विवादित पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) के अंतर्गत जारी किया गया है। जिसमें यह पुष्टि की गयी है कि इस भूमि पर पिछले 50 वर्षो के दौरान आवंटी रह रहा है। जो कि मानने योग्य नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 जो कि निगराकार के पुत्र की पत्नि है। उसने निगराकार के पुत्र के साथ में दुसरा विवाह किया है तो 50 वर्ष से इस मकान में निवासरत नहीं मानी जा सकती है। साथ ही उसकी इतनी उम्र भी नहीं है कि उसे 50 वर्ष से इस मकान में रहते हुए माना जाए। क्योंकि वो इसके पुत्र की द्वितीय पत्नि है।

अतः इन सभी आधारो से यह स्पष्ट हुआ है कि पट्टा जारी किये जाने में पंचायत द्वारा कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पत्रावली का सृजन एक ही दिन में किया गया है। अतः ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 57 दिनांक 04.10.2019 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी विवादित पट्टा 57 दिनांक 04.10.2019 निरस्त किया जाता है। तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली नगर पालिका भीम को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद